न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 104/2023

लक्ष्मी इंडिया फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय–2 डी0एफ0एल0 टॉवर, गोपीनाथ मार्ग, एम0आई0रोड, जयपुर–302001 जरिये जरिये प्राधिकृत अधिकारी राजसिंह चौहान

...प्रार्थी

बनाम

1. गुड्डी देवी मीणा पत्नि श्री संतोष कुमार मीणा, (ऋणी)
   पता–कालाराम की ढाणी, नांगल राजावतान दौसा राजस्थान–303505
2. संतोष कुमार मीणा पुत्र नाथू लाल मीणा (सह ऋणी व बंधककर्ता)
   पता–कालाराम की ढाणी, नांगल राजावतान दौसा राजस्थान–303503
3. राधेश्याम मीणा पुत्र श्री भोजाराम मीणा (गारन्टर)
   पता–कालाराम की ढाणी, नांगल राजावतान दौसा राजस्थान–303503

......अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम– 2002

उपस्थित : श्री विजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांक 28.02.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड, (पूर्व में लक्ष्मी (इंडिया) फिनलीजकेप प्राईवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात) ने अप्रार्थी/ऋणी को 11,70,000/–(रूपये ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड, (पूर्व में लक्ष्मी (इंडिया) फिनलीजकेप प्राईवेट लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड, (पूर्व में लक्ष्मी (इंडिया) फिनलीजकेप प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड, (पूर्व में लक्ष्मी (इंडिया) फिनलीजकेप प्राईवेट लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई संतोष कुमार मीणा पुत्र नाथू लाल मीणा की अचल संपत्ति जो कि आवासीय प्लॉट पटटा नंबर 50, कालाराम की ढाणी, पंचायत समिति लवाण ग्राम पंचायत नांगल राजावतान दौसा राजस्थान–303505 पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है जिसका कुल क्षेत्रफल 142.22 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी लक्ष्मी इंडिया फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड, (पूर्व में लक्ष्मी (इंडिया) फिनलीजकेप प्राईवेट लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो [illegible] पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये [illegible] पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2024.05.14 10:55:45 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा